७ त्तो तगढ़ आतन स्कूल शिक्षा दिभाग मंत्रालय ाउ कल्यांग सिंह भवन-रायपुर

क्रमा 6373 /1631/20/2002

सन्मदान एमति,

12715

रायपुर, दिनांक 27. 12. "-

,पभारी संवालक, राज्य विधिक अनुसंधान श्व ष्रशिक्षण वरिषद, छ- ग- रायपुर ।

विषय:- राज्य बेधिक अनुसंधान स्व प्रशिधन परिषद् का बिभागीय सेटअव ।

राज्य भातन दारा राज्य भविक अनुसंधान स्व प्रभिन्न परिषद् उ.ग.रायपुर को यद संरचना निम्नानुसार अस्थायो रूष से दिनांक 28-2-2003 तक स्वीकृत किया जाता है:-

	2. Sec. 19. 19.	षदनाम 02•	रभोकृत संहथा ३०३ - द	देतनमान 04•	रिमांई 05.	
to att		र्श्वयालक		14300-18300	कु। से 8 तक का लेगा	
	2.	संयुक्त संचालक	1	12000-16500	शोर्थ माँग संख्या-27- तकल शिक्षा 2202	
	3.	प्राध्यापक	3	10000-15200	सामान्य जिसा 02	
	4.	सहा मक डाध्यापक	13	8000-13500	माध्यमिक भिक्षा 101 राज्य आयोजना	
	5.	च्याख्याता	9	5500-9000	सामान्यः 105 जिसको का प्रान्ध्रण	
	6.	सहायक अधीक्षक		4500-7000	3694; राज्य श्रदिक न-रब प्रशिक्षण परिषद्	
			Hell I	2 2 2 2	र्षं स्त-सा-इ-आर-८-८। जां बुनर्ग्ठन आयोजनेत्तर तर्गत हिकलनीय होगा	
	7.	सहायक सांहियकी	1	5500-9000	प्रतिनियुक्ति पर्	
	8.	जाइब्रेरियन	1	4500-7000		
	9.	लेखा धिकारो	1	8000-13500	इंप्रतिनियुक्ति पर	
	10	भीप्रलेखक रेड-3	2	4500-7000	क. 9 से 25 तक लेखा बीर्घ मांग संख्या 27	
1	11.	लेखापाल	2	4000-6000	त्कृत भिर्धा 2202 तमान्य शिक्षा 101	
	12.	सहायक वर्ग-2	3	4000-6000	राज्य आयोजना	
	13.	सहायक रेड-3	6 1 1	3050-4590	रिक्रामान्यः 105	
	14.	स्टेनो टायपिस्ट	3	3050-4590	36948 राज्य राखिक अने रवे प्राधिण संस्थान	

SCERT

To FATA

·· 2. (E

C

. 01.		03.		05.
15.	डाटा रन्द्री आगरेटर	2	3050-4590	
16.	बाहन चालक	1.1	3050-4590	
17.	चौकीदार	2	2550-3200	
18.	भूत्व	5	कलेक्टर दर	
	1156	ाबन प्रकोग	-6//	
19.	संयुक्त संयालक	1	12000-16500	
20.	उन लंगालक	1	10000-15200	
21.	सहायक सुँचालक		8000-13500	
22.	लेखाबाल	- P. Total	4000-5000	
23.	सहायक रेड-2	3	4000-6000	
24.	सहायक रेड-3	5	3050-4590	
	आक. निधि मृत्य	3	कलेक्टर दर	

बद संरचना आदेश में निम्नानुसार आहें रहेगी:-

- 1. तेवा भरती नियमों में आवश्यक संशोधन करा लिया जावेगा ।
- 2. सभी पद अत्था यी होंगे।
- 3. बद सरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिस्त पद तब तक नहीं भरे जावेंगे जब तक इस हेतु बित्त दिभाग से पृथक से छूट प्राप्त नहीं कर लिया जावे ।
- 4. चतुर्थ श्रेणी के कोई भी बद आकृत्मिकता हूं कलेक्टर दरहू के बद सहित सीधी भरती ते नहीं भरे जाबेंगे । बद अति अब कर्मचारियों ते ही भरे जायेंगे ।
- 5. दर्शा गये सभी बेतनमान तही है, इस बात की बुष्टि कर ली गई है।

बह स्वीकृति बित्त विभाग के हु-कु- ५७४ । ८२- १८४३ / २-३ / २०८ दिनांक ३०-१२.७ २ दारा महालेखाकार, छ- ग- रायपुर को कृठ्ठां कित की गई है ।

कत्तीतगढ़ के राज्यपाल के नाम ते तथा आदेशानुतार अविभिन्धानुतार

FA. STABITS

Vrat.

उत्तातगढ् शासन न्दूल ग्रिमा किनाग कंगलय दाऊ का गणतिंद अधन-रायपुर

ज़माक Sec /7845/20/2004 प्रति,

Q.

5

Fairman

Dund

संचालक, एत.सो.ई.अार.टो, रायपुर ।

/7845/20/2004

ų.j.

TI My a

प्रतिलिपिः-

1.

2.

विषय:- एत.सो.ई.आर.टी.में मुद्रण सहा.रेड-२ का पद निर्माण ।

राज्य भातन दारा एस-सी-ई-आर-टो-के स्वोकृत पदों में से सहायक श्रेणी-2 श्रेवेतनमान 4000-6000% का एक पद समर्पित वर मुद्रण सहायक का एक पद उसी वेतनमान में निर्मित करने की स्वोकृति प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पू. 9.98 / 52 37/0 ज्य-3 / 402 / 2004 दिनांक 11- 3- ७५ दारा महालेखाकार, रायपुर को पृष्ठां कित की गई है । छत्ती तगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार

> रसा परिदाण्डे अवर सचिव उत्तोतगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विनाग

रायपुर, दिनांक 3/3/14

4

रायपुर, दिनांक

र्वत्न तचिव, छ॰ ग॰ शासन, वित्त विनाग, क्वालय-रायपुर को ओर तोन अत्तिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार, छ॰ ग॰ रायपुर को ओर पृष्ठा कित करने हेतु अग्रेषित । बोषा जय अधिकारो, कोषालय, राजपुर को ओर तूचनार्थ।

> - अवर तचिव छत्ती सगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याणसिंह भवन--रायपुर

कमांक 906 / 103/20/2006 प्रति, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, छ.ग.रायपुर ।

विषय:- प्रकाशन प्रकोष्ठ में आर्टिस्ट एवं कम्प्यूटर डिजाइनर के पद स्वीकृति करने की संबंध में ।

राज्य शासन एतद् द्वारा संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. में स्वीकृत प्रकाशन प्रकोष्ठ के एक उप संचालक (वेतनमान 10,000–15,200) तथा एक सहायक श्रेणी–2 (वेतनमान 4000–6000) के पद को समर्पित करते हुए एक पद आर्टिस्ट तथा एक पद कम्प्यूटर डिजाइनर के पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 89/4361/बजट-3/ दिनांक 16.2.2006 के द्वारा प्रदान की गई.हैं।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रायपुर,दिनांक 25/2/06

(एल.पी.दोण्डे) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर,दिनांक 25 2 06

पू.क. 907 / 103 / 2006 / 20 प्रतिलिपिः--

1. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय-रायपुर,

- 2. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर,
- 3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर,
- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

छत्तीसगढ विभाग



Jan Stal Post

छत्तीसगढ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ःः मंत्रालयःः महानदी भवन, नया रारापुर //आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 18/11/2014 .एफ 23–09/2014/20–3 ः राज्य शासन एतद् द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर में स्वीकृत दो संयुक्त संचालक के पदों में से एक पद को उन्नत (Upgrade) करते हुए एक अपर संचालक (Additional Director) का पद, वेतनमान 37400-67000, ग्रेड पे 8700, सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है।

उपरोक्त पद पर होने वाला व्यय मांग संख्या–27–स्कूल शिक्षा 2202 2/ सामान्य शिक्षा (02) माध्यमिक शिक्षा 101 राज्य आयोजना (सामान्य) (105) शिक्षकों का प्रशिक्षण (3694) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं एस.सी.ई.आर.टी.का पुनर्गठन आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के एफ–2014–20 –00217/बी–3/चार, दिनांक 3/ 22.04.2014 के द्वारा प्रदान की गई है। (मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त)

तथा आदेशानुसार,

(एम.प्रन्शिजरकर)

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से

अवरे 🗲 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग नया रायपुर, दिनांक 🏌 / 11 / 2014

पृ. कमांक एफ 23-09/2014/20-3 ५ प्रतिलिपि :--

विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,

प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, 02. 03.

महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,

- संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर, 04.

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, 05.

कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय-रायपुर, 06

आर्डर बुक, 07.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



🖌 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

- 628



छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याणसिंह भवन–रायपुर

 रायपुर,दिनांक 3/9/05

36

प्रति, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,

छ.ग.रायपुर ।

विषयः--नवीन एवं उन्नयित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संख्याओं के सेटअप की स्वीकृति ।

राज्य शासन पांच बी.टी.आई. महासमुंद, नगरी, जांजगीर—चांपा, जशपुर एवं कांकेर को डाईट में उन्नयन एवं चार नवीन डाईट कवीरधाम, दक्षिण बस्तर, कोरबा एवं कोरिया में खोलने हेतु निग्नानुसार अस्थायी पद स्वीकृत किया जाता है:—

स.क.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1	प्राचार्य	10000-15200	9
2	उप प्राचार्य	8000-13500	9
3	व्याख्याता	5500-9000	135
4	सहायक प्रोग्रामर	5000-8000	9
5	छात्रावास अधीक्षक	5000-8000	9
6	सहायक ग्रन्थपाल	4500-7000	9
7	सहायक ग्रेड–1	4500-7000	9
8	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	4500-7000	9
9	सहायक ग्रेड–2	4000-6000	18
10	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000-6000	18
11	डाटा इन्दी आपरेटर	3500-5200	9
12	सहायक ग्रेड–3	3050-4590	54
13	भृत्य (आकरिमक निधि)	कलेक्टर दर	36
14	चौकीदार (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	18
-	1	कुल	351

.

Φ.	. पदनाम	वेतनमान				संस	था का	नाम				कुल
	-		महासमुंद	नगरी	जांजगीर —चांपा	जशपुर	कांकेर	कबीरघाम	दक्षिण बस्तर	कोरदा	कोरिया	1
1.	प्राचार्य	10000-15200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2.	उप प्राचार्य	8000-13500	1	1	1.	1	1	1	1	1	1	9
3.	व्याख्याता	5500-9000	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13!
4.	सहायक प्रोग्रामर	5000-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5.	छात्रावास अधीक्षक	5000-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6.	सहायक ग्रन्थपाल	45008000	1	1	. 1	1	1	1	1	1	1	9
7.	सहायक ग्रेड–1	4500-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	शीघलेखक ग्रेड—3	4500-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9.	सहायक ग्रेड–2	4000-6000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
10	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000-6000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
11	डाटा इन्ट्री आपरेटर	3500-5200 .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
12.	सहायक ग्रेड–3	3050-4590	6	6	6	. 6	6	6	6	6	6	54
13.	भृत्य (आक.निधि)	कलेक्टर दर	4	4	4	4	4	4	4 .	4	4	36
14	चौकीदार (आक.निधि)	कलेक्टर दर	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
	कुल		39	39	39	39	39	39	39	39	39	351

2/- पदों का संख्यावार विवरण निम्नानुसार है:-

3/- पद संरचना आदेश में निम्नानुसार शर्ते रहेगी:-

1. सभी पद अस्थायी होंगे ।

 चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भरती से नहीं भरे जावेंगे । पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे ।

4/- इन पदों को भरने हेतु वित्त विमाग से अलग से सहमति प्राप्त की जानी है । इहा संस्थाओं की पद स्वीकृति के समस्त पूर्व आदेश निरस्त माने जावेगें । 5/- उपरोक्त व्यय मांग संख्या 27, स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (01) प्राथमिक शिक्षा (107) शिक्षकों का प्रशिक्षण 0101 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए आयोजना के अंतर्गत विकलनीय होगा । 6/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. <u>4357 1289 / कि.</u> दिनांक <u>1-9-</u>05 के द्वारा प्रदान की गई हैं।

.3

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार र संचिव

छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर,दिनांक

पृ.क. प्रतिलिपिः–

- 1. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय-रायपुर,
- 2. महालेखाकर, छ.ग.रायपुर,

/2521/2005/20

- 3. सचिव छ.ग. शासन आनु.जाति अनु.जन जाति मंत्रालय रायपुर
- 4. आयुक्त आनु.जाति अनु.जन जाति विभाग
- 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर,
- 6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़
- 7. कलेक्टर, जिला.....
- 8. प्राचार्य, डाईट.....
- 9. प्राचार्य, बी.टी.आई.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

()

20

निरंतर 3

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक एफ 7-15/2010/20-एक प्रति,

1.0

रायपुर, दिनांक 12/5/10

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं अधीनस्थ संस्थाओं में स्वीकृत विषय :--पदों में संशोधन/उन्नयन बाबत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के सभी 16 डाईट के व्याख्याताओं के वर्तमान भिन्न-भिन्न संरचना को समाप्त करते हुए सभी डाईट के लिये निम्नानुसार एक समान पद संरचना स्वीकृत की जाती है:--

क्र	पदनाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ व्याख्याता	15600-39100+5400	05
2.	व्याख्याता	9300-34800+4300	12

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप व्याख्याता के कुल 49 पद समर्पित होंगे। आंग्लभाषा के संदर्भ में अन्य राज्यों में क्या स्थिति है कि जानकारी उपलब्ध करावें। 2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0कमांक 181/25193/वित्त विभाग/ब-3/ 3/ 2010, दिनांक 3.05.2010 द्वारा प्रदान की गई है। 4 0/62 30

छत्ती,सगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(विलियम कुजूर) उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

jostni 208

पृ0क्रमांक एफ 7—15/2010/20—एक प्रतिलिपिः—

रायपुर, दिनांक

1. निज सहायक, मान० मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, सयपुर,

PIETING SPECIFIC

1/2/1

2. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर,

3. सचिव, छ०ग० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर

4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर

कोषालय अधिकारी जिला कोषालय रायपुर।

उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीलगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय,

दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर =()= ==

कनाक एफ 7-15/20-एक/2010 प्रति रायपुर दिनांक के 1/12

-- संचालक,

राज्य शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं अधीनस्थ संस्थाओं क लिए स्वीकृत पदों में संशोधन विषयक।

संदर्भ – आपका पत्र कमांक/स्थापन/डाइट/सेटअप/2012-13/2303 रायपुर दिनाक 27.06.2012।

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत (डाइंट) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ व्याख्याता के स्थान पर सहायक प्राध्यापक पदनाम में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करता है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.कमांक 313/1001048/14.
 विभाग / ब-3/2012 दिनांक 23.07.2012 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

gr 18/12

(एम. एर्न. राजूरकर) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग स्ट¹⁹ रायपुर, दिनाक

पू. कमांक एफ 7–15/20–एक/2010 प्रतितिपि–

1

- निज राहायक नाानीय मंत्री जो स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर छ ।
- 2 प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, तिस्त विसाग, मत्रालय, रायपुर छ.ग
- 3 सचिव, 13 ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर छ ग
- 4 आयुक्त लोक शिक्षण रुत्तालन्ग नय रायपुर छ ग
- 5 सचालक राज्य शीक्षेक अनुपान एव प्रशिक्षण परिषद् छ ग रागप
 - 6 कोषालय आधेवारी जिला काष लग र टगुर छ ग.

के ओर सूचनार्थ प्रथित।

अंतर सचित्र धलोसगढ शासन प्राप्त नाम

. State Council of Educational Research & Training,



राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

दूरमाष नं. 0771-2443297 फ्रैक्स नं. 0771-2443596 Websit : www.scert.cg.gov.in Email. scertcg@gmail.com

क./स्था. 1/डाइट/सेटअप/पद संशोधन/2012/3634 रायपुर दिनांक – २६ २४ १२ प्रति,

प्राचार्य								
जिला	शिक्षा	एवं	प्रशिक्षण	संरथान.				
जिला.								
जिला	शिक्षा	एवं	प्रशिक्षण	संस्थान	में स्वीकृत	अकादमिक	पदों मे	ां संशोधन /

उन्नयन बाबत्।

विषय:-

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर के आदेश कं. एफ 7–15/2010/20–एक दिनांक 12.05.2010 एवं एफ 7–15/20–एक/2010 दिनांक 01.08.2012

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क. एफ 7–15/2010/20–एक दि.12.05.2010 द्वारा राज्य के सभी 16 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के व्याख्याताओं के वर्तमान भिन्न–भिन्न संरचना को समाप्त करते हुए सभी डाइट के लिए एक समान पद संरचना स्वीकृत की गई है तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के उक्त पद संरचना में वरिष्ठ व्याख्याता का पदनाम ''सहायक प्राध्यापक'' परिवर्तन की स्वीकृति आदेश क. एफ 7–15/20–एक/2010 दिनांक 01.08.2012 द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य के सभी 16 डाइट में अकादमिक पदों हेतु निम्नानुसार पद संरचना होगी –

क.	पदनाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
1.	प्राचार्य	15600-39100 + 6600 / -	01
2.	उप प्राचार्य	15600-39100 + 5400 /-	01
3.	सहायक प्राध्यापक	15600-39100 + 5400/-	05
4.	व्याख्याता	9300-34800 + 4300/-	12
		कुल पद	19

इन अकादमिक पदों के अलावा पूर्व सेटअप के शेष पद यथावत रहेंगे।

उपरोक्त पद संरचना के अनुसार डाइट के कार्यरत रिक्त एवं अतिरिक्त पदों

की जानकारी नाम एवं विषय सहित शीध्र परिषद् को भेजें। संलग्नः–संदर्भित आदेशों की प्रति।


(अनिल राय) संचालक अपस.सी.ई.आर.टी. पृष्ठां.क. / स्था. १ / डाइट / सेटअप / पद संशोधन / 2012 / 31 35 रायपुर दिनांक — २८ - २८ - २२१ २ प्रति,

1. निज सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन रायपुर।

- 3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीगढ़ प्रेंशन बाड़ा एकीकृत भवन रायपुर।
- 4. प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर / बिलासपुर ।
- समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक १८एझ.सी.ई.आर.टी.



उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार शासः आदया कर्णा उत्तर दुरामाइ दु में वर्तमान लागू एद संरचना [सेटअप] निम्नानुसार स्वीछत है। आदेश की द्वाया पुतियाँ जो कार्यालय में उपलब्ध हे, संलग्न है। शेष गाहित जानकारी कार्यालयीन अभिलेख के आधार पर तैयार हर आप की की र आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित ।

H.	पद लाम	स्वीडत	कार्यरतः	17.0	अदिश क्रमां क
1.	प्रान्चार्य	01	01	-	Vide E.D. memo ND. 15413/3185/x
2.	्याख्याता	06	02	04	IV - Intg. dated 18.10.62 Above - & 44/10/751
3	दिरिह क	02	02	-	2/20/A Bhotal Daled 03-7.75 vide Ed. memo No. 15413/3185/
4.0	आयाम निर्देशन	01	c1	-	XX - IV - Inty. dated. 18.10.62 - Above -
5. 0	बिली ग्रिसिन्ड	01	01	-	- de -
	वैगीन खिक्षानु	01	01	-	- do -
	नेरबापाल"	01	01		- do -
8. H	हां लिपिड	01	01	_	- de
9-	फर्राश	01	01		- do -
10.	भूत्य	01	01	1	- do
12 6	चोरीदार बिसान परिसार के एक रिमार्ड निधि म्रत्य	01 15	01 000	01	No11629/199/20.3. 68 Bhofaldt-18!
			-5 1	14	Vide El. deft. M.P. Grovt. Zell. 73/121
	सैलाउन -				78B-2/20 BhoPal dated 16.5.80.

अपलब्धकार्यालयान आदेशकी ।

१ एस० वर्ग्स् कर्ले) 16.3.04 जासार्थ प्राहिनीय कुन्याटी प्रशिक्ष प्र इस्ट. द्वींग्रद्यांव, इ. राजनांट्यांव (६.अ.)

10011491

मध्यप्रदेश शासन, शिहार-विभाग

इमाल स्पान्धर-१२। ७५ वी-२।२०।

प्रति,

सन्दभ

19.73 4

.20

25552

मोपाल, दिनाक १६ मई १९ ८०

सनगठक ठोल जिलाएग मध्यपुदेश, मोपा छ ।

विषाय :- कात्रावासों में १५ प्रतिशत मुत्य रखने की स्वीकृति ।

सनाइक होक खिताण का ज्ञाप क्रमाक योठकार्गांधा म्वा३। प्रम्न दिनाक १९-३-१९ म्व

राज्य शासन समस्त शासकी य बुनियादी प्रशिनाण संस्थाओं के संजग्न (कात्रावासों में पुरयों की संख्या १५ अथवा कात्रावासों में प्रवेश प्राप्त कात्रों की संख्या (का १५ प्रतिशत जो भी कम हो, रखने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाठ के नाम से तथा कार्नेशानुसार -हस्तापार- हिन्दी में बम्पण्ट बवर\ सचिव मध्यप्रदेश शासन, शिष्ठाा विभाग

> त्रोक शिदाणा संवाजनात्रय मध्यप्रदेश

पुण्ठाकन क्रांक योठकाठाया म्ठा३। 10२०: मोपाइ, दिनाक २२ मई १९ म्द प्रतिशिप :-

१:- समस्त संगागीय शिलाणा अधी हाल, मध्यप्रदेश।

२:- समस्त जिला शिरा वधिकारी, मध्यप्रदेश।

३:- समस्त, प्रावाय, शासकीय वुनियादी प्रशिक्षणा संस्था, मध्यप्रदेश।

की जोर सूचनार्थ एवं आवष्ट्रयक कार्यवाही हेतु को णित ।

सोनरन २१-५-००

पारजक जरेक जिसागर पण्ययुद्ध

मध्यपुर्वेश शासन, शिराह विभाग

·0

स्कूल शिक्षा विमाग मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर

कमांक/एफ 6-1/20/04 प्रति,

B

E A

रायपुर, दिनांक

to 17-9-04

संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय : सीमेंट के गठन के संबंध में ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रबंधन संस्था (स्टेट इस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एवं ट्रेनिंग) (सीमेट) की स्थापना का निर्णय लिया गया है । इस हेतु निम्नानुसार अस्थाई पद निमार्ण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

कमांक	पद	वेतनमान	संर	ज्या .	रिमार्क
1.	प्राध्यापक	12000 - 16500	3		
2.	सहा.प्राध्यापक	10000 - 15200	3		
3.	सहा. प्राध्यापक	8000 - 13500	3		
4.	कम्प्यूटर प्रोगामर	8000 - 13500	1		
5.	वित्त अधिकारी	8000 - 13500	1	राज्य वित्त	सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
6	सहा. ग्रंथपाल	4000 - 6000	1	and a state of the	and a sum (3) of the
7.	लेखापाल	4000 - 6000	1		
8.	तकनीकी सहा. ' प्रशिक्षक	4000 - 6000	1.		
9.	डाटा इनट्री आपरेटर	3500 - 5200	2	Johen .	
10.	सहा. ग्रेड-3	3050 -4590	1		
11.	केयर टेकर	कलेक्टर दर	1		
12.	भृत्य	कलेक्टर दर	3		
	4	कुल	21		

उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है ।

 पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नही भरे जायेगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त नही कर ली जावें।

2. दर्शाये गये वेतनमान सही है इस बात की पूष्टि कर ली गई है ।

x-410 4.9.0

उक्त व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (02) माध्यमिक शिक्षा 105 शिक्षकों का प्रशिक्षण 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5569) सीमेंट का गठन आयोजना में विकलनीय होगा ।

456/SR-196/23/20104 दिनांक 2 2 SEP 2004

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन कमांक द्वारा महालेखाकार छ.ग. रायपुर को पृष्ठांकित की गई है ।

> छत्तीसगढ़ के राज्य पाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(एल.पी.दाण्डे) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 17/904

0

2

पृष्ठा.कमांक/एफ 6–1/20/04 प्रतिलिपि :

Ser Parts

- सचिव छ.ग. शासन वित्त विभाग रायपुर की ओर महालेखाकार छ.ग. को पृष्ठाकित करने हेतू अतिरिक्त तीन प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2. संचालक लोक शिक्षण रायपुर
- 3. संचालक राजीव गांधीी शिक्षा मिशन रायपुर
- 4. जिला कोषालय रायपुर

शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शार केल (1)

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन–रायपुर

कमांक एफ 7-20//2012/20-एक रांयपुर, दिनांक 101772 प्रति,

संचालक,
 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,
 छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषयः—सीमेट (एस.सी.ई.आर.टी.) के पद संरचना में स्वीकृत केयर टेकर एवं भृत्य के कलेक्टर दर के पदों को नियमित वेतनमान के पद घोषित करने बाबत् ।

-00-

राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश कमांक एफ 6–1/20/04, दिनांक 17.09.2004, के द्वारा सीमेट (एस.सी.ई.आर.टी.) के पद संरचना में कलेक्टर दर पर स्वीकृत केयर टेकर एवं भृत्य के पदों को आकस्मिकता स्थापना में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करता है ।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. कमांक 279/100/200/वित्त विभाग/ब-3/2012, दिनांक 04.07.2012 द्वारा प्रदान की गई है ।

B.Com, Letter

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (एम.एन) सजूरकर) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० कमांक एफ 7—20/2012/20—एक रायपुर, दिनांक प्रतिलिपिः—

- (1) विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन ।
- (2) प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- (3) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- (4) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।

अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Charlend and

- 1027

11

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विमाग मंत्रालय दाउ कल्याणसिंह भवन-रायपुर

कमांक 1665 423 20/05 प्रति,

ाः संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर ।

विषय:-- आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (ईएलटीआई) के पदों की संरचना के संबंध में ।

राज्य शासन द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के अन्तर्गत आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (ई.एल.टी.आई.) रायपर की स्थापना हेत निम्नानसार अस्थाई पद के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

पद	वेतनमान	संख्या
1. सहायक प्राध्यापक	8000-13,500	01
2. व्याख्याता	6500-10500	02
3. सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01
4. सहायक ग्रेड-3	3050-4590	01
5. डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050-5200	01
6. मृत्य	कलेक्टर दर	02
योग-	-	08

उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:--

- 1. सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 के पद प्रतिनियुक्ति से भी भरे जायेंगे ।
- 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद की पूर्ति छत्तीसगढ़ (संविदा) नियुक्ति नियम 2004 के प्राक्धानों के अनुसार की जायेगी ।
- 3. उक्त व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (02) माध्यमिक शिक्षा 105 शिक्षकों का प्रशिक्षण 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5647) राज्य स्तरीय अंग्रेजी प्रशिक्षण संस्थान का गठन आयोजना में विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं .238/675/बजट-3/चार दिनांक 21.4.2005 के द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(एम.एस.पकरा)

रायपुर,दिनांक 25 4 05

संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग an

निरंतर 2

sight and it

13

छतीसगढ़ झालन ब्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर ===0====

क्रमांक एफ 1- 130 / 2010 / 20-एक रायपुर, दिनांक <u>स्टर्स कर्ण</u> / २ प्रति.

संचालक,
 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
 रायपुर छ0ग0।

विषयः– राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर (ई0एल0टी0आई) हेतु अस्थाई रूप से दो सहायक प्राध्यापक के पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0क0 367/30658/ब–3/2010/ दिनांक 27.10.2010 द्वारा प्रदान की गई है।

charrow at

Pet

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अर्ज़ण कुमार सिंह) अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विमाग 14

Niharika 295

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याणसिंह भवन--रायपुर

कमांक 906 / 103/20/2006 प्रति, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, छ.ग.रायपुर ।

विषय:- प्रकाशन प्रकोष्ठ में आर्टिस्ट एवं कम्प्यूटर डिजाइनर के पद स्वीकृति करने की संबंध में ।

राज्य शासन एतद् द्वारा संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. में स्वीकृत प्रकाशन प्रकोष्ठ के एक उप संचालक (वेतनमान 10,000–15,200) तथा एक सहायक श्रेणी–2 (वेतनमान 4000–6000) के पद को समर्पित करते हुए एक पद आर्टिस्ट तथा एक पद कम्प्यूटर डिजाइनर के पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 89/4361/बजट-3/ दिनांक 16.2.2006 के द्वारा प्रदान की गई.हैं।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रायपुर,दिनांक 25/2/06

(एल.पी.दोण्डे) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर,दिनांक 25 2 06

पू.क. 907 / 103 / 2006 / 20 प्रतिलिपिः--

1. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय-रायपुर,

- 2. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर,
- 3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर,
- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

छत्तीसगढ विभाग



Jan Stal Post

Goyy of Education Department mano 10. 15441/3186/XX-IV integ. dated the 18th Oct. 1962 addressed to the Director of Public Instruction, M.F., Ehopad. 20

Subject: - Sat-up of the staff for the post Graduate Basic Training colleges, M.P.

Government are pleased to sanction the set-up of the staff for the Post Graduate Basic Training Colleges as shown in a sexure 'A' and the creation posts as shown in annexure 'B'.

2/ All permanent posts in column 3 of the Annexure 'B' will be deemed to have been created with effect from the 1st November 1956.

sim land

3/ The posts shown in annexure 'B' shall be deemed to have been created in the unified scales with effect from the 1st april, 1958, provided that in the case of employees or categories of employees supecified in an order issued by the State Government under the proviso to rule (2) of the M.P. Unification of Pay scales and fixation of pay on absorption Rules, 1959, the posts held by them shall be deemed to have been created in the unified scales with effect from such earlier date as may be fixed by the State Government for the coming into force of the said rule.

4/ All previous orders in so far as they relate to the set-up of the staff for the P.G.B.T. Colleges issued by the erst-while Governments of the contituent units in respect of the creation and continuance of posts in their jurisdiction which have not ceased to exist under section 116 of the State Re-organisation Act, 1956, or where not abolished and also all orders issued after the re-organisation in respect of posts which have ceased to exist under the said section of the State Re-organisation

Contd...2

Re-organisation act shall stand Mp superseded with effect from 1-11-1956. Further, these orders shall not affect the pay etc., drawn by the persons concerned prior to the issue of orders of absorption or in their pay scales except in the manner and to the extent permissable in accordance with the provisions contained in the h.P. Unification of pay scales and fixation of pay on absorption hule, 1959, No appointments and promotions to or confirmations against any post sanctioned in the set-up made with estrospective effect.

5/ Further necessary action may please be taken accordingly.

By order and in the mame of the Governor of Madhya Pradesh.

Sd/- K.P. Shrivastava, Under Secretary to Government, Madhya Fradesh, Education Separtment. 21

Endt. No. 15412/3186/XX-IV/Integ. Bhopal, dated 18th Oct.62.

Copy with a spare copy forwarded to the Finance Department, Bnopal for information and communication to the accountant General, M.P., Nagpur.

UNDER SECRETARY TO GOVT.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION, Madhya Pradesh.

Fndt. No. Set-up-1962-Misce, 21 Bhopal, dated the 9th Nov. 62

Copy of Education Department memo No. 15411/3186/ XX-IV/Integ., dated 18-10-1962, is forwarded to:-

> 1. 411 the Frincipals, of Fost Craduate Basic Training Colleges, Madhya Pradesh.

2. all Head-quarters Officers.

3. All Heads of concerning sections, D.P.I., office.

h. l'a leliger

for information and necessary action.

1 SIATA

2/ Collegewise distribution of the staff provided in the new set-up is enclosed vide annexure 'C'.

ST. TEFENT SHOWING THE STRUCTURE ...ND STRENGTH OF THE SET UN OF THE STLEF FOR THE L.G.B.T. COLLEGE IN M.DHY., FR.DESH.

S.No.	Designation	Strength Sand No. of posts	
	GAZETTED FOSTS.		
1.	Frincipal	11	I
2.	l rofessors	30	I
3.	.sstt. Frofessors	60	ri
4.	Lecturers	49	II
	NON GAZETTED LOSTS. Class III - Teaching.		
5.	Teachers of Instructors	68	III ·
1 _a	<u>Class III - Ministerial</u>		
6.	Librarian	11	III
7.	Head Clerks	.11	III '
8.	accountant.	8	III
9.	Lower Division Clerks.	19	III
	Class IV		in the
10.	Lab. and Craft attendant	s 38	1v
1.	I eons.	41	IV
2	Farrashës	11	IV
3.	Chowkidars .	11	IV

Sd/- KB. Shrivastava. Under Secretary to Government. M.I., Education Department.

. 4 . 24

22

Ketting.11. 50 Col. 2

1

I

120

0

S.No.	Classification 'of posts	0 Nu 0 Perma 02	umber 'emperery	Total
-	G.ZETTED FOSTS.	<u>e</u>		<u>l</u>
1.	Frincipal	11		11 11
2.	Frofessors.	30	_	30
3.	Asstt. Frofessors	60	_	60 .
4.	Lecturers	49	-	49
	NON G.ZETTED			
	Class III - Teaching;			
5.	Teachers & Instructors	68	-	68
6,	Librarian	11		11
7	Head Clerk	11	-	11
8.	ccountants.	8	-	8
9.	Lower Division Clerks	19	-	19
	Class IV.			
10.	Lab. & Craftttendants	38		38
11.	Feons.	41	-	41
12.	Farrashes	11 1	-	11
13.	Chowkidars	11	-	11

Sd/- K.F.Shrivastava, Under Secretary to Govt. Madhya Fradesh. Education Department.

1

23

Als."

1

1)

Antextures Colass II Low Works Theor I can be and the angle of t	M			
Aute Class II Ko Wu 485 I Class II Class II Kolass III 48 5 Class II Class II Class II 9000 0 0 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 1 1 1 2 5 5 1 1 1 2 5 5 1 1 1 3 6 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 4 1 1	1	-) iow dar	10.	1 (23)
Aute Class II Ko Wu 485 I Class II Class II Kolass III 48 5 Class II Class II Class II 9000 0 0 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 1 1 1 2 5 5 1 1 1 2 5 5 1 1 1 3 6 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 4 1 1		ara (Ch shas (Kt	diprovene	
AUTRB C 1855 I Class III (Class III (Class III (Class III (Class III Class III (Class III (Class III (Class III Class III (Class III Class III (Class III (Class III Class III (Class III Class III (Class III (Class III (Class III (Class III Class III (Class III) (Class III) (Class III) (Class III) (Clastras III) (Class III (Clastras III (Class III) (Clast III) (Class		TI s Il	1 क भिष्क्षेत्र भवन काम्य 1	and the second se
AUTHA ICI ICI ICI ICI Anss I Class I Class I Class I Anss I Class I Class I Class I Class Anss I Class I Class I Class I I Ssor 0 I Class I I I I Ssor 0 I I I I I I Anst I I I		0 0 0 Lat	भ लोककलककक भ	38 38 1struct
Alles I CIASS II CLASS III (CLASS III CLASS III Frore dussit - Uleot - CLASS III (CLASS III CLASS III Frore dussit - Uleot - CLASS III (CLASS III Frore dussit - Uleot - CLASS III (CLASS III Peachers 0 0 CLASS III (CLASS III 0 0		1 200		
WIRE ICI 1.000 1000 100 100 100 100 100 100 100 1		o tt	e - Orgiererie	1 20 m
XURB ICI 1000 1000 <tr< td=""><td>0</td><td></td><td></td><td>11 rector</td></tr<>	0			11 rector
XURB ICI ASS I 0 Isss I 0 Isss I 0 Issor 0 0	- 18	pagado	oi - demenser	F DI DI
XURE 'C' XURE 'C' Frofe Lussift. dieof. 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1.654	Lass IJ 93chin 93cher: 9acher: Inst.	et e alecalecede	
XURE 'C' Frored.sstt. dL 20 50 60 20 50 60 20 50 20 50 20 20 50 20 50	148	and an		
NUR Ssor 4		t. Jle		
ALL N N N N N N N N N N N N N N N N N N	10	0 Cl	0 × 0000 × 000 × 0	09 that is
	EXURE	31-000	4 n apanapannan	
		Frinc	mi	11
College College Bhopal Bhopal Bhopal Chhatarpur Gwalior Jabalpur Rewa Rewa Rewa Rewa Rewa Ujjain Otal			80.81	i domente i
e i		le Coll		Tota
		of		1
emericane doelle doe		owner over		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

GO"ERMMENT OF MADHYA PRADESH EDUCATION DEPARTME .

Memo No. 6347/339/XX-9 Bhoper, dt. the 9/6, 1966.

TO

The Director- of Public Instruction, Madhya Pradesh, <u>Bhopal</u>.

- Sub:- Creation of additional posts ## for P.G.B.T.Colleges at Sagar, Bilaspur and Gwalior.
- Ref:- Your Mote No. Trg/C/65/49, dated the 27th Movember, 1965, on Education Department file.

In order to cope with the increased work load, the State Government are pleased to accord sanction the creation of the following temporary posts for the P.G.B.T.College, Sagar, Bilaspur and Gwalior, with effect from the date of appointment upto 28th February, 1967.

- i/ 3 posts of Assistant Professors in the scale of Rs. 225x 360-15-405-20-425-25-550-550-25-700/- one post for each P.G.B.T.College.
- 11/ 6 posts of Lecturers in the scale of Rs. 275-275-300-15-405 -EB-20-425-25-575/-. Two posts for each College.
- iii/ 9 Posts of Teachers/ Instructors in the scale of Rs. 150-150-5-160-6-191-RB-6-220-10-240-240-EB-12-290/-. Three posts for each College.
- iv/ 3 posts of Accountants in the scale of Rs. 115-320/one for each College.
- v/ 3 posts of L.D.C. in the scale of Hs. 90-170/- one post for each College.
 - vi/ _6 posts of Lab./Craft Attendents in the scale of Rs. 70-96/-2 posts for each College.
- vii/ 3 posts of peons in the scale of Rs. 55-1-65/- one post for each College.

The expenditure on this account should be debited to the 'head " Demand Mo. 24-Education 23-Education-Plan-A-University A-i-Government Professional Colleges-A-4(4)-Government Training

> By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

25

Sd/- K.N. LOKRE Assistant Secretary to Government, Madhya Pradesh, Tducation Department. No. 6948/239/XX-2 Bhopal, dated the 9/6/56.

Sopy with one space copy for Larddd to the Finance Department, Madhya Pradesh, Bhopal, for information and communication to Accountant General, Madhya Pradesh, Gwalior.

lat arpur aspur Tede -10 -----. College Principal Pro- A -Ed + -\$: • iv 00 w ors. 4. True-copy 1 : Asstt. Prof. Class II 4. 40 O 1 AT EXURE 1 C 1 0 -.... 1 Lect. 1 3 5 Ci w C 1 Teachers 2.5.4 -tra-& Inst. Class III += 46 -----2. -• Distant of the of 1 1 • 1 1 -HH L1b. (Ministerial 1b. H.C. 3 . -----C1 .385 G • - - - -0. III 町市 Acctt. ----1 1 10. 1 -...... for Directors of Public Instructi 1 NH iO ... L.D.C. Lab. 11. -Madhya Pradesh. S4/-12. 13. 1. 15. ··· CLASS IV -• 10 -----A IN 4 ----....... -13 Deons Farais is 10 --suns 1 1 Chow 1-1-****** 1

Dated Bilaspur, the // // Dece., 62

My dear Shri. sigi Subject

Subject:- Appointment of additional staff as per set up of the staff of the P.G.B.T.Colleges.

A perusal of your office endt.No.Set-up-1962-Misc.21,dated 9-11-62 enclosing distribution of the staff provided in new set up vide annexture 'C' is requested.

Following posts under different class and categories have been sanctioned for the Govt.P.G.B.T.Coll -ege,Bilaspur but revised scales of pay applicable could not be clearly known from the records available in this office.

(A) Class III-Teachers and Instructors ... 4

(B) Class III-Ministerial --Librarian 1 Headclerk 1 Laboratory Attendant 2

I shall be grateful if revised scale of pay applicable to each post is early communicated. It may kindly be further elucidated if appointments of suitable candidates available should be effected presuming that there exists necessary provision in the Budget or necessary supplementary provision could be made thereafter.

2. In case the posts (noted against item(A)/) to be filled up carry higher scale of pay and thus beyond the competence of the Principal,P.G.B.T.College, I may request you for getting the orders expedited from your end so that kkw work of the college may not hamper and efficiency is maintained.

26

29

D. O. No. 1624 Office of the "incipal, Govt. P. G. B. T. College, Bilaspur

Dated Bilaspur, the // // Dece., 62

My dear Shri. Jac Subject:- Appointment of additional staff as per set up of the staff of the P.G.B.T.Colleges.

A perusal of your office endt.No.Set-up-1962-Misc.21,dated 9-11-62 enclosing distribution of the staff provided in new set up vide annexture 'C' is requested.

Following posts under different class and categories have been sanctioned for the Govt.P.G.B.T.Coll -ege,Bilaspur but revised scales of pay applicable could not be clearly known from the records available in this office. (A) Class III-Teachers

1

TC

and Instructors ... 4

(B) Class III-Ministerial --

- Librarian 1 Headclark 1
- Headclerk Laboratory

Attendant 2

I shall be grateful if revised scale of pay applicable to each post is early communicated. It may kindly be further elucidated if appointments of suitabld candidates available should be effected presuming that there exists necessary provision in the Budget or necessary supplementary provision could be made thereafter.